

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
अधिसूचना


अधि०सं०-भवन/स्था०-०२-विविध-९१७/२०१६..... 10032 (A) पटना, दिनांक- २.१०.१६

श्रीमती रेणु अग्रवाल, सहायक अभियंता (असैनिक), वरीयता क्रमांक-४७ को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-१ के अधीन कार्यपालक अभियंता (असैनिक), वेतनमान पी०बी०-(१५६००-३९१००/-) एवं ग्रेड पे-६६००/- के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से स्थानापन्न प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

२. विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा में श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी, सहायक अभियंता (वरीयता क्रमांक -४४) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण उनका निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा गया है। उक्त रिक्ति के विरुद्ध यह स्थानापन्न प्रोन्नति दी जा रही है। उनके आरोप मुक्त होने पर तथा प्रोन्नति हेतु पद उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में श्रीमती अग्रवाल (कनीयतम सहायक अभियंता) को पदावनत (Revert) कर श्री चौधरी को प्रोन्नति दी जाएगी।


३. यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन SLP (C) No.-२९७७०/२०१५, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(उमेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक- भवन/स्था०-०२-विविध-९१७/२०१६ 10033 (A) पटना, दिनांक- २.१०.१६
प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था०-०२-विविध-९१७/२०१६ 10033 (A) पटना, दिनांक- २.१०.१६
प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था०-०२-विविध-९१७/२०१६ 10033 (A) पटना, दिनांक- २.१०.१६
प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मानीय उप मुख्य (भवन निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता/ लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन कोषांग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित नव प्रोन्नत पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।